अनुदान संख्या 89 – पोत परिवहन मंत्रालय
GRANT No. 89 - MINISTRY OF SHIPPING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1955,99,00	2071,23,00	1646,37,61	-424,85,39
पूरक	Supplementary	115,24,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				390,82,92
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	526,57,00	582,44,00	547,07,96	-35,36,04
पूरक	Supplementary	55,87,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				25,23,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹42485.39 लाख) नवम्बर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त की गई ₹11524.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹42485.39 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹11524.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted 21 percent of total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	5987.00	5703.55	5349.82	-353.73
पु.	R.	-283.45			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	8664.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-8665.00			
मुख्य शीर्ष “2852”	Major Head “2852”				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	9784.00			
पू.	S.	11518.00	23128.50	23128.45	- 0.05
पु.	R.	1826.50			
मुख्य शीर्ष “3051”	Major Head “3051”				
पत्तन और प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	81798.00			
पू.	S.	2.00	72335.69	69774.31	-2561.38
पु.	R.	- 9464.31			
मुख्य शीर्ष “3052”	Major Head “3052”				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	10330.00			
पू.	S.	2.00	9398.10	8986.28	-411.82
पु.	R.	-933.90			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3056"	Major Head "3056"				
अंतर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport				
मू.	O.	67036.00			
पू.	S.	1.00	52538.04	52538.04	..
पु.	R.	-14498.96			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकार को सहायता अनुदान	Grant-in-aid to State Governments				
मू.	O.	12000.00			
			4936.20	4860.71	- 75.49
पु.	R.	-7063.80			

(I) ₹8766.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹8665.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹8766.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹8665.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" under the following heads: -

(का) "अंतर्देशीय जल परिवहन– सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण"– ₹8000.00 लाख; और

(A) "Inland Water Transport - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Inland Waterways Authority of India" - ₹8000.00 lakhs; and

(खा) "अंतर्देशीय जल परिवहन – केंद्रीय योजना स्कीमें– आईडब्ल्यूटी का विकास"– ₹665.00 लाख।

(B) "Inland Water Transport - Central Plan Schemes - Development of IWT" - ₹665.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3451"–"सचिवालय– पोत परिवहन मंत्रालय" ₹637.18 लाख की बचत (₹5987.00 लाख के

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Shipping" - saving of ₹637.18 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यालय मदों की अधिप्रापति नहीं होने, मेसर्स केओपीटी को विवाचन प्रभारों की प्रतिपूर्ति न होने कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹5987.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-procurement of office items and non-reimbursement of arbitration charges to M/s KoPT.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" – "इंजीनियरी उद्योग – परिवहन उपस्कर उद्योग – रक्षा पीएसयू शिपयार्ड के सिवाय सभी भारतीय शिपयार्ड को सब्सिडी/वित्तीय सहायता" – ₹5357.00 लाख की बचत (₹9600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्रापति होने और औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2852" - "Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Subsidy/ Financial assistance to all Indian Shipyards except Defence PSU Shipyards" - saving of ₹5357.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9600.00 lakhs) was due to less receipt of proposals and non-finalization of proposals owing to non-completion of formalities.

(IV) मुख्य शीर्ष "3051" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "3051" - savings occurred under the following heads: -

(का) "मुख्य पत्तन" –

(A) "Major Ports" -

(क) "निदेशन और प्रशासन – सागरमाला" – ₹9651.48 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹23001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सागरमाला पहल के लिए क्रिएटिव मीडिया एजेंसी न बनाए जाने, सांविधिक मंजूरी की वजह से मार्टटाइम बोर्ड की परियोजना को पुरस्कार न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration - Sagarmala" - saving of ₹9651.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹23001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-creation of creative media agency for Sagarmala initiative, non-awarding of projects of Maritime Boards owing to statutory clearance.

(ख) "पत्तन न्यास को सहायता – स्वच्छता कार्य योजना" – ₹600.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Assistance to Port Trusts - Swachhata Action Plan" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत" –

(B) "Light Houses & Light Ships" -

(क) "निदेशन और प्रशासन – महानिदेशालय" – ₹722.17 लाख की बचत (₹5123.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की कम प्राप्ति होने के

(a) "Direction and Administration - Directorate General" - saving of ₹722.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5123.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and

कारण हुई।

(ख) "प्रकाश स्तंभ – आवश्यक व्यय" –

(i) "प्रबंधन" – ₹1986.59 लाख की बचत (₹8469.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और भारी वर्षा होने और दूरस्थ स्थानों पर स्थित प्रकाश स्तंभ पर चिलचिलाती गर्मी होने के कारण हुई।

(ii) "प्रचालन और रख–रखाव" – ₹706.24 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलयान "एमवी दीप स्तंभ" को डिकमीशन किए जाने के कारण इस जलयान की ड्राई डोकिंग के लिए कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3052" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – पोत परिवहन महानिदेशालय" – ₹1295.11 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9986.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुम्बई पत्तन न्यास और कोचिन पत्तन न्यास द्वारा आपातकालीन टॉवरिंग जलयान देर से तैनाती किए जाने, रिक्त पदों को न भरे जाने और पेशेवर सेवाओं से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3056" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग को अनुदान" – ₹14436.33 लाख की बचत (₹36336.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाराणसी में फ्रेट विलेज के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

less receipt of medical reimbursement claims.

(b) "Light Houses - Working Expenses" -

(i) "Management" - saving of ₹1986.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8469.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts non-taking up of work owing to bad weather, heavy rainfall and scorching heat at lighthouses located at remote locations.

(ii) "Operation and Maintenance" - saving of ₹706.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to requirement of less funds for dry docking of vessel "MV Deepstambh" owing to decommissioning of the vessel.

(V) Under Major Head "3052" - "General - Direction and Administration - Directorate General of Shipping" - saving of ₹1295.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9986.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to late deployment of Emergency Towering Vessel by Mumbai Port Trust and Cochin Port Trust, non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards professional services.

(VI) Under Major Head "3056" - "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grant to Inland Waterways Authority of India" - saving of ₹14436.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36336.00 lakhs) was due to delay in acquisition of land for Freight Village at Varanasi.

(VII) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance" - savings occurred under the following heads: -

(का) "सागरमाला परियोजना" – ₹3952.00 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "तटीय पोत – परिवहन वर्थ को सहायता" – ₹3710.49 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कनार्टक और केरल सरकार द्वारा समुद्री बोर्ड गठन होने, उपयोगी प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹8801.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2852" – "इजीनियरी उद्योग – परिवहन उपस्कर उद्योग – हुगली गोदी और पत्तन इंजिनियर्स लि." – ₹7301.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3051" – मुख्य पत्तन – पत्तन न्यास को सहायता – मोंमुगावो पत्तन न्यास" – ₹1500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1499.00 लाख था।

(II) बचते मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय पूल संसाधन – आईडब्ल्यूटी का विकास" – ₹523.20 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पूनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹3536.04 लाख) नवम्बर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹5587.00 लाख के पूरक अनुदान का 63 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

(A) "Sagarmala Projects" - saving of ₹3952.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from State Governments and less receipt of proposals.

(B) "Assistance to Coastal Shipping Berth" - saving of ₹3710.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to formation of Maritime Board by Govt. of Karnataka & Kerala, non-clearance of statutory obligations for projects and non-receipt of utilization certificates.

2.(I) The above savings were partly (₹8801.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" - "Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Hooghly Dock & Port Engineers Limited" - ₹7301.00 lakhs.

(B) Major Head "3051" - "Major Ports - Assistance to Port Trusts - Mormugao Port Trust" - ₹1500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1499.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States - Central Pool of Resources for North Eastern Region - Development of IWT" - excess of ₹523.20 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹3536.04 lakhs) constituted 63 percent of the supplementary grants of ₹5587.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and 6 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5051"	Major Head "5051"				
पत्तन और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	51487.00			
पू.	S.	4640.00	53812.00	52984.58	-827.42
पु.	R.	-2315.00			

(I) "लघु पत्तन – अन्य लघु पत्तन – लैंडिंग सुविधाओं और जेटीज का निर्माण" – ₹5487.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1340.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6827.00 लाख कर दिया गया, तथापि, ₹2656.20 लाख की बचत हुई (पूरक अनुदान सहित) – कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से मैंगलौर से कावारट्टी से क्रेन का परिवहन न होने के कारण हुई।

(I) Under "Minor Ports - Other Small Ports - Construction of landing facilities and Jetties" - the original provision of ₹5487.00 lakhs was augmented to ₹6827.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1340.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2656.20 lakhs (including supplementary grant) - due to non-transportation of Crane from Mangalore to Kavaratti owing to COVID-19 lockdown.

(II) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत – अन्य व्यय – परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन" के अंतर्गत ₹250.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3300.00 लाख के पूरक अनुदान से प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3550.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹397.85 लाख की सीमा तक कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से आयात आपूर्ति पर संचलन पर प्रतिबंध लगाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Light Houses and Light Ships - Other Expenditure - Replacement of Assets" - the original provision of ₹250.00 lakhs was augmented to ₹3550.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹397.85 lakhs - due to restriction of movement on import supplies owing to Covid-19 lockdown.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹393.53 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 79 प्रतिशत थीं।

(III) Under one head saving of ₹393.53 lakhs occurred constituting 79 percent of the sanctioned provision.